



सख्या:पीसीएच-एचबी (1)1/2006-मांगे-11-लूज- 69629-40
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग ।

सेवा में,

समस्त सचिव,
जिला परिषद एवं जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-9, दिनांक

17 अक्तुबर, 2017.

विषय :-

मार्गदर्शन प्रदान करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सरकार द्वारा दिनांक 27.9.2017 को जारी अधिसूचना के सम्बन्ध में जिला परिषदों के नियमित कर्मचारियों को 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण करने उपरान्त Time Scale प्रदान करने के क्षेत्रीय कार्यालयों से मांगे जा रहे मार्गदर्शन के सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये:-

पदनाम	प्रारम्भिक वेतनमान	2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने उपरान्त वेतनमान
सहायक अभियन्ता	9300-34800+5400 ग्रेड पे	15600-39100+5400 ग्रेड पे
कनिष्ठ अभियन्ता	10300-34800+3800 ग्रेड पे	10300-34800+4800 ग्रेड पे
कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	5910-20200+2800 ग्रेड पे	10300-34800+3600 ग्रेड पे
कनिष्ठ लेखापाल	5910-20200+1900 ग्रेड पे	10300-34800+3200 ग्रेड पे
पंचायत सचिव	5910-20200+1900 ग्रेड पे	10300-34800+3200 ग्रेड पे

जिला परिषद के समस्त नियमित कर्मचारियों को पद के अनुरूप सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की तर्ज पर अन्य सभी प्रकार के भत्ते भी देय होंगे। सम्बन्धित वेतनमान में अदायगी तथा वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय तथा विभागीय अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण के अधीन होगा। यदि इस सम्बन्ध में बाद में कोई आपत्ति उठाई जाती है तो, अधिक अदा की गई राशि सरकारी कोष में एक मुश्त जमा करनी होगी। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन निर्धारण के आदेश में उल्लेख किया जायेगा।

भवदीय

(केवल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश शिमला-9

दूरभाष संख्या: 2623805 (e-mail ID jointdirectorprhp@gmail.com)